

उत्तराखण्ड वन विकास निगम  
सूचना का अधिकार अधिनियम -2005

बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों का विवरण कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिये होगी या बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुँच होगी :

उत्तराखण्ड वन विकास निगम का गठन एक स्थानीय निकाय के रूप में किया गया है तथा इस संस्था का संचालन राज्य सरकार द्वारा गठित प्रबन्ध मण्डल द्वारा किया जाता है। बैठकों के कार्यवृत्त जनसामान्य के लिये सुलभ किये जा सकते हैं, परन्तु प्रबन्ध मण्डल की बैठकों में जनता को प्रतिभाग की अनुमति नहीं होगी क्योंकि प्रबन्ध मण्डल में दीर्घकालीन प्रभाव डालनेवाली व्यवसायिक नीतियों के बारे में विचार-विमर्श किया जाता है जिनके समय पूर्व सार्वजनिक हो जाने से वन विकास निगम के वित्तीय हितों पर कुठाराघात की पूर्ण सम्भावना है।